पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

नवाघरा

ग्राम पंचायत - मांडवा

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - इस क्षेत्र का नाम पहले नया फला था। इस कारण जब यह गाँव बसा तब इसका नाम नवाघरा पड़ा।करीब 150 साल पहले गाँव राज दरबार के अधीन हुआ करता था और इसकी जमीन चक राजदानी में आती है क्योंकि राजा ने गांव वालों को बसने के लिए जमीन दान दी थी इसलिए इस गांव को नवाघरा चक के नाम से भी जाना जाता है।पेसा कानून की जानकारी गांव के अधिकतर लोगों को है।नवाघरा में दो मंदिर है।

गाँव का एक परिचय - नवाघरा गाँव दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मांडवा का एक राजस्व गाँव है जो जिला मुख्यालय डूंगरपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर है।नवाघरा गांव में लगभग 320 घर हैं और आबादी लगभग 1700 है। नवाघरा में फलों की संख्या 3 है जो निम्नवत हैं -

1. नवाघरा (110 घर)
2. घाटाफला (125 घर)
3. सागवान फला (98 घर)

गांव के सारे लोग अनुसूचित जनजाति के हैं गांव में अन्य जाति के लोग नहीं है।गांव की सारी जमीन चक राजदानी के अंतर्गत होने के कारण गांव की एक इंच भी जमीन गांव वालों के नाम से दर्ज नहीं है।जमीन को अपने नाम कराने की लड़ाई वागड़ मजदूर किसान संगठन के साथ लड़ रहे हैं लेकिन सरकारी उपेक्षा के चलते उनके पुश्तैनी जमीन कब उनके हाथ से निकल जाएगी इसका भय उन्हें रात दिन लगा रहता है।गांव में एक राशन की दुकान है।

नवाघरा में गांव सभा का गठन और शिलालेख 29 जनवरी 2018 को हुआ था।गाँव की फसल - मक्का, उड़द, चावल, गेहूं, सरसों और चना है।नवाघरा गांव में राशन की दुकान है।गांव में आदिवासियों की उप जातियां रोत, कटारा, कलासुआ, परमार, डामोर, गमेती हैं।गाँव में बिजली की सुविधा करीब 100 घरों में ही है।गाँव का नजदीकी उप-स्वास्थ्य केंद्र पोस्ट ऑफिस मांडवा में 3 किलोमीटर दूर हैं।पुलिस थाना और कॉलेज डूंगरपुर में है।

आवागमन की स्थिति - डूंगरपुर से नवाघरा गांव में जाने के लिए ऑटो मिलते हैं वे पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 7-8 लोगों के बैठने की क्षमता वाले वाहन में 15-20 लोगों को ठूंस-ठूंस कर बिठाते हैं।सवारियों को ऑटो की छत पर बैठकर और खड़े-खड़े भी जाना पड़ता है।कई बार घंटे भर इंतजार करने के बजाय लोग पैदल जाना ही पसंद करते हैं और करीब 1 घंटे में नवाघरा पहुंच जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - नवाघरा गाँव में आंगनबाड़ी की संख्या दो है।गांव में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें दो कमरों की हालत जर्जर है एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जिसकी हालत ठीक है।गाँव में ईलाज की व्यवस्था हेतु कोई उप-स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र मांडवा में(3 किलोमीटर दूर) है वहां पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है लेकिन वहां टीकाकरण और प्रसव पूर्व

सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई इलाज नहीं होता है। इसलिए इलाज के लिए डूंगरपुर ही आते हैं। मरीजों के लिए कभी-कभी 108 सुविधा भी मिलती है अन्यथा उनको निजी साधन से अस्पताल जाना पड़ता है। गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है; निकटतम पशु चिकित्सालय मांडवा में है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - नवाघरा से डूंगरपुर आने-जाने के लिए ऑटो से जाया जा सकता है। लेकिन वह वाहन मालिक की मर्जी से लंबे इंतजार के बाद पूरी भरने पर चलती है। सामान्यतः घंटों लंबा इंतजार करना पड़ता है।ऑटो पूरा(ओवरलोड) भरने पर ही चलते हैं। 7-8 सवारियों की क्षमता वाले वाहन में 15-20 लोगों को ठूंस-ठूंस कर बिठाते हैं। बहुत बार घंटे भर इंतजार करने के बजाय लोग पैदल जाना ही पसंद करते हैं और करीब 1 घंटे में नवाघरा पहुंच जाते हैं। गाँव में सारे रास्ते कच्चे और उबड़-खाबड़ है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है। वाहनों को उबड़-खाबड़ जमीन होने और रोड़ नहीं होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव की भूमि चक राजदानी भूमि के अंतर्गत आती है और इस पर न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है।गांव के आसपास की जो जमीन खेती लायक है उसमें मक्का, उड़द और धान तथा गेहूं की फसल बोते हैं।खेती से उनको साल में 2 से 3 महीने खाने भर का अनाज होता है बाकी महीने सरकारी राशन से मिलने वाले गेहूं और बाजार से खरीद कर खाना पड़ता है।खेतों की सिंचाई के लिए लोगों ने अपने कुओं में ट्यूबवेल लगा रखे हैं जो लगभग 20 हैं।कुओं में पानी फरवरी के बाद सूखने लगता है जिससे गेहूं की जो थोड़ी बहुत खेती लगा रखी है वह प्रभावित होती है।गाँव के पास से मोरन नदी निकल रही है तथा चार बड़े नाले हैं जिस पर एक एनिकट है आस-पास में कई छोटे बड़े नाले निकल रहे हैं।उन पर एनिकट नहीं बना होने से बरसात के बाद सूख जाते है।नालों के नाम निम्नवत हैं -

1. श्मशान घाट के पास वाला नाला
2. गुंडी वाले दर्रे में नाला
3. बिली वाले दर्रे में नाला
4. कौचा कुवा दर्रे में नाला
5. कडू वाले दर्रे में नाला
6. बेसरा वाले दर्रे में नाला
7. टेंबूर वाले दर्रे में नाला
8. फूटा बदरा दर्रे में नाला

9. घाटा स्कूल के नीचे वाला नाला
10. कबत वाले दर्रे में नाला
11. बट्टी वाले दर्रे में नाला

गांव में 31 हैंडपंप हैं जिनमें से 5 हैंडपंप बंद है।गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। दिसम्बर बाद गाँव में लगभग सभी नाले सूख जाते है। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर-दूर से सिर पर ढो कर पैदल लाना पड़ता है। गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गांव के अधिकतर हैंडपंप और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी बोरवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का, सरसों, चना और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वही धान, गेहूं और चना पैदा कर पाते हैं उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। अच्छी नस्ल न होने और पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह सब उनके परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकट के बाजारों या डूंगरपुर की मजदूर मंडी में काम की तलाश में जाते हैं। काम अगर मिल गया तो ठीक नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। महीने भर में उन लोगों को यहां 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है।मनरेगा में वार्ड पंच आवेदन तो करवा देते हैं मगर उसकी रसीद नहीं देते और फर्जी नाम डालने से भी उनके उनको मजदूरी कम मिलती है।कई बार मजदूरी सौ रुपए से भी कम मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे शहरों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, बड़ौदा, सूरत और अहमदाबाद आदि में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहां भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव में करीब 20 लोग सरकारी नौकरी में हैं जो शिक्षा विभाग में अध्यापक, पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक और वन विभाग आदि में है।जो लोग पढ़े लिखे और सरकारी में काम करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बाकी लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण बदहाली में अपना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नदी - मोरन नदी तालाब - फूटा तालाब एनिकट - 1 नाले - 3 कुआं - 15 बोरवेल - 25 हैंड पंप - 12	गाँव के निकट से मोरन नदी और तीन नाले निकलते है जिसमें बरसात में ही पानी रुकता है। बरसात के बाद दिसम्बर माह तक गाँव में कुछ दूरी तक नालों में पानी रहता है। वह भी दिसम्बर के बाद खत्म हो जाता है। गाँव में एक तालाब, एक एनिकट, तीन नाले और 15 कुए है पर सब में गर्मी में पानी सूख जाता है। गाँव के करीब 25 लोगों ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है जलस्तर नीचे चले जाने के कारण उनमें से कुछ में ही पानी है। गाँव में 12 हैण्ड पम्प है लेकिन उनमें से 5 बंद है। सभी हैंडपंप में फ्लोराइड तथा आयरन पाया जाता है।	गाँव में नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। गाँव के चारों तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब में भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल करने की जरूरत है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह जंगल	गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन	गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में

	असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गांव का जंगल खत्म हो चुका है और उसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है।	उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नदी, नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से पानी रोकने खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक / व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक / दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है। जो सड़क बनाई जाती है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। गाँव के लोगों का रास्ते के लिए जमीन न देना भी रास्ते निर्माण में एक बड़ी बाधा है।	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते के बीच में जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा किया जा रहा है।	**तात्कालिक**
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही छात्रों के बैठने हेतु कमरे। जो कमरे हैं उनमें से भी चार कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है। बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। विद्यालय में जो हैंडपंप है उसमें फ्लोराइड और आयरन पाया जाता	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के प्रस्ताव लिए गए हैं। गाँव सभा में यह भी निर्णय लिया	**तात्कालिक**

			है।	गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।	
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलनेवाली नदी में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नदी का सारा पानी निकल जाता है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नदी नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है, वृक्षारोपण, मछलीपालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में	**तात्कालिक**

				बढ़ोतरी की जा सकती है। जंगल को विकसित करके लघु वनोपज भी लिया जा सकता है जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है।	
4	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक / व्यक्तिगत**	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबिज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	**दीर्घकालिक**
5	आवास/ शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या	**व्यक्तिगत**	आवास निर्माण में पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है। जिनका आवास निर्माण होता भी है तो उनको घूस के रूप में दस हजार रु. का भुगतान पहले करना पड़ता है। शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है।	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**

			उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क(घूस) देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है।		
6	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नदी नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। रास्ता निकालने के बारे में आपसी विवाद।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। रास्ता निकालने के बारे में आपसी विवाद निपटाना।
जल नदी नाला एनीकट कुआं बोरवेल	गाँव से निकलने वाली नाले पर एक एनीकट बना हुआ है। उस एनीकट में से भी पानी रिसकर निकल जाता है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। नदी पर बांध बनाने की योजना। गाँव के तालाब का	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

हैंड पंप नदी	नहीं बनाना। नदी पर कोई बांध नहीं होना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	साथ ही साथ जल संरक्षण की चल रही योजनाओं की जानकारी का अभाव।
आजीविका संवर्द्धन कृषिभूमि पशुपालन मछलीपालन	वन को गाँव सभा के अधिकार में लेने के प्रति उदासीनता। खेत समतलीकरण योजना को पंचायत से लेने के प्रति उदासीनता। चारागाह पर गाँव के लोगों का अवैध कब्जे के कारण चारे की कमी तथा चारागाह की खाली जमीन पर चारे के प्रबंधन के प्रति उदासीनता। पशुपालन के प्रति उदासीनता। सब्जी की खेती हेतु सिंचाई की व्यवस्था का अभाव। मछलीपालन न करना।	लघु वन उपज, गौण खनिज, दूध व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और सब्जी की खेती की जा सकती है। गाँव के जंगल में फलदार और इमारती लकडियों का वृक्षारोपण कर के लघु वन उपज प्राप्त किया जा सकता है। खेत का समतलीकरण करके और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर के कृषि उपज बढाई जा सकती है। पशु पालन के लिए चारागाह की जमीन पर चारे की व्यवस्था और उन्नतशील नस्ल के दुधारू जानवरों की व्यवस्था। भेड़, बकरी और मुर्गी पालन। सब्जी की खेती।	खेती के लिए उन्नतशील बीज और सिंचाई के साधनों का अभाव। उन्नत नस्ल के पशुओ का अभाव। वन पर सामुदायिक दावा पत्र न मिलना। मछलीपालन करना।

भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

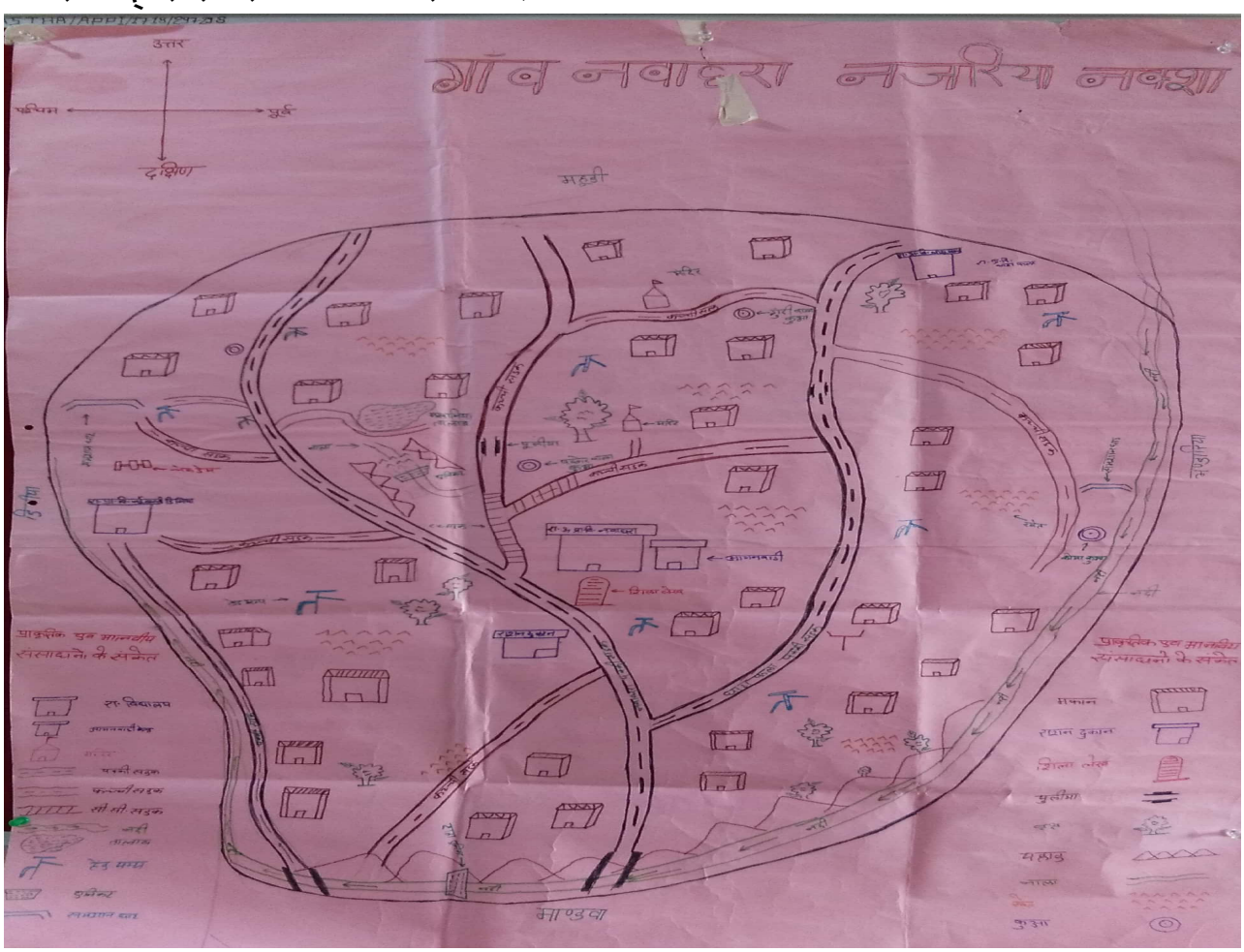

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	पेंशन वृद्धा पेंशन	10
	विधवा पेंशन	3
	विकलांग पेंशन	6
	पालनहार योजना	3
2	राजकीय प्राथमिक विद्यालय घाटा फला के संबंध में अध्यापकों की नियुक्ति	1
3	उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में	1
4	कुआं का निर्माण और गहरीकरण के संबंध में 1. पसुर वाला कुआं 2. गुंदी वाला कुआं 3. कोम्पा कुआ 4. बापू मोगा का कुआं 5. पीपला वाला कुआं 6. डाबली फला सार्वजनिक कुआं 7. राम जी धूला का कुआं 8. सोमली कचरा का कुआं 9. रूपा जीवा का कुआं 10. तुलसीराम रंगा का कुआं 11. अर्जी रूपसी का कुआं 12. मोगजी नगजी का कुआं 13. गट्टू हलिया का कुआं 14. बसंत नाना का कुआं 15. लक्ष्मण मंगला का कुआं 16. नाथू भाणा का कुआं 17. सविता का कुआं 18. जोदा नाना का कुआं 19. धनु देवी दलु का कुआं 20. गौतम भाणा का कुआं 21. श्मशान घाट के पास कुँए का निर्माण	21
5	हैंडपंप के संबंध में	
	हैंड पंप नए	33

	पुराने हैंडपंप की मरम्मत	3
6	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के संबंध में	51
7	खेत समतलीकरण -	47
8	खेत तलावडी -	16
9	कच्चे-पक्के चेक डैम का निर्माण	27
10	एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में 12. शंकर मीणा के घर के पास श्मशान घाट वाले नाले पर 13. श्मशान घाट के पास मोरन नदी पर 14. गुंडी वाला दर्रा में 15. बिली वाला दर्रा पर 16. कौचा कुवा दर्रा पर 17. कडू वाला दर्रा पर 18. बेसरा वाला दर्रा पर 19. टैंबूर वाला दर्रा पर 20. फूटा बदरा दर्रा पर 21. घाटा स्कूल के नीचे 22. कबत वाला दर्रा पर 23. बट्टी वाला दर्रा पर	12
11	तालाब गहरीकरण के संबंध में मसानिया तालाब को गहरा करना	1
12	रास्ता निर्माण के संबंध में	
	सी.सी. सड़क	7
	कच्ची सड़क	3
13	पशु बाड़ा निर्माण के संबंध में (गांव के प्रत्येक घर में)	-
14	शौचालय निर्माण के संबंध में नए आवेदन करना जिन की किस्त बाकी है उनकी कार्यवाही को अग्रसारित करना	-

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

गाँव सभा में उपस्थित गांववासी

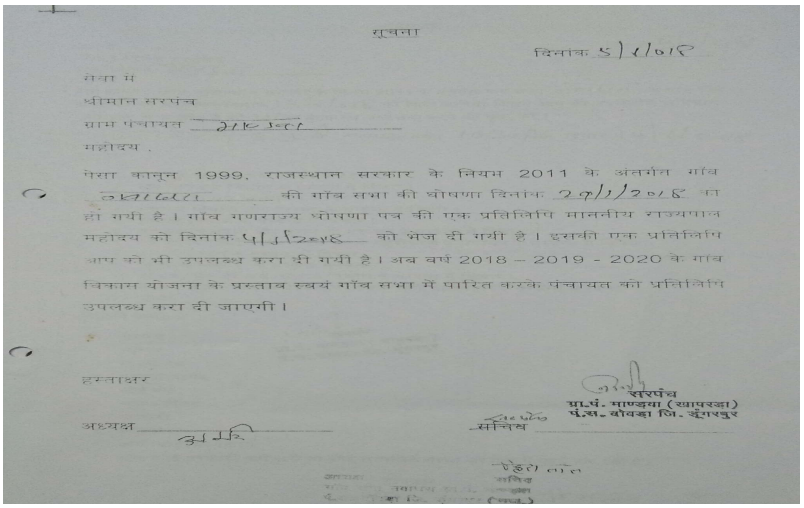

सूचना

दिनांक 5/1/018

सेवा में

श्रीमान सरपंच

ग्राम पंचायत [illegible]

महोदय,

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव [illegible] की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 29/1/2018 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 5/1/2018 को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 – 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

सरपंच
ग्रा.पं. माण्डवा (खापरड़ा)
पं.स. बीछीवाड़ा जि. डूंगरपुर

अध्यक्ष [illegible] सचिव [illegible]

सूचना

सूचनार्थ

सेवा मे दिनाकं 5/1/018

श्रीमान सरपंच व सचिव

ग्राम पंचायत माण्डवा

महोदय,

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाव सभा [illegible] के गावं विक... के प्रस्ताव का अनुमोदन दिनाकं 15/1/018 को किया जायेगा जिसमे आप की उपस्तिथि अनिवार्य है।

अतः आप से अनुरोध है की उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान [illegible] समय 10:30 Am दिनाकं 14/1/2018

एजेण्डा

1. खेत समतलीकरण के सम्बन्ध में विचार।
2. खेत तलावडी निर्माण के सम्बन्ध मे विचार।
3. चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध मे विचार।
4. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध मे विचार।
5. तालाब निर्माण के सम्बन्ध मे विचार।
6. नए हैडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
7. नए कुए के निर्माण और पुराने कुए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
8. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध मे विचार।
9. पशुबाडा निर्माण के सम्बन्ध मे विचार।
10. पी.एम और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
11. पेंशन – वृद्धा, विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार के सम्बन्ध में विचार।
12. अन्य ....

प्रतिलिपि प्रेषित :-

सरपंच
ग्रा.पं. माण्डवा (आपरड़ा)
पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. ग्राम सेवक
9. आंगनबाडी कार्यकर्ता
10. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामजिक संस्था जो गाव मे कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर

हिरालाल

सूचना

(5)

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत..माण्डवा

विषय: गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया हैं और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया हैं।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक हैं।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम..नवाफरा

प्रतिलिपी:-

1.श्रीमान् विकास अधिकारी..........

2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय

3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........

4. निजी रेकार्ड

अमरी

हिरालाल

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत माण्डवा
पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

प्रस्ताव कवरिंग

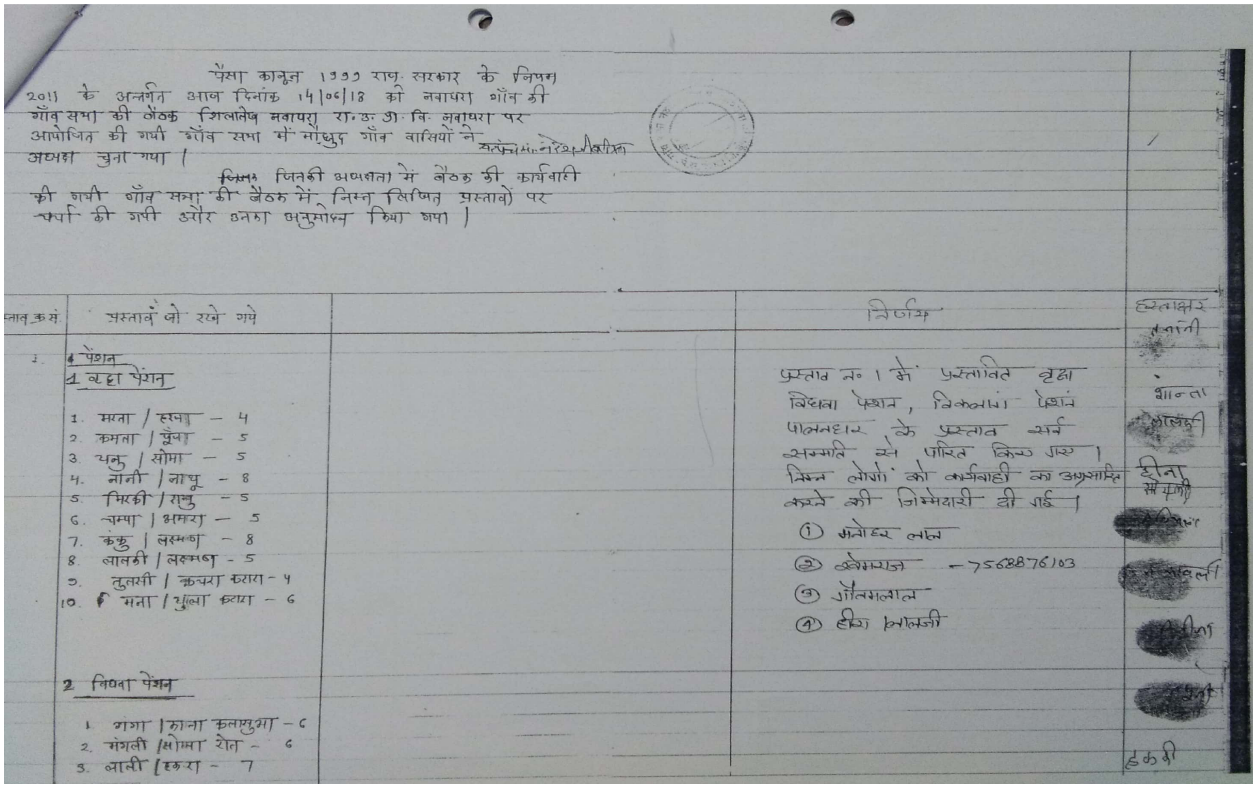

पैसा कानून 1996 राज. सरकार के नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 14/06/18 को नवापरा गाँव की गाँव सभा की बैठक शिलालेख नवापरा रा.उ.प्रा.वि. नवापरा पर आयोजित की गयी गाँव सभा में मौजूद गाँव वासियों ने ... अध्यक्ष चुना गया।

जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी गाँव सभा की बैठक में निम्न लिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र.सं.	प्रस्ताव जो रखे गये		निर्णय	हस्ताक्षर
1.	1 पेंशन 1 वृद्धा पेंशन 1. मता / हमनु – 4 2. कमला / प्रेमा – 5 3. धनु / सोमा – 5 4. नानी / नाथु – 8 5. मिरकी / रानु – 5 6. चम्पा / भमरा – 5 7. कंकु / लक्ष्मण – 8 8. लालकी / लक्ष्मण – 5 9. तुलसी / कचरा – 4 10. मना / धुला – 6 2 विधवा पेंशन 1. गंगा / काना – 6 2. मंगली / सोमा – 6 3. लाली / हुरा – 7		प्रस्ताव नं. 1 में प्रस्तावित वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पालनहार के प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किए गए। निम्न लोगों को कार्यवाही का अनुसरण करने की जिम्मेदारी दी गई। ① मनोहर लाल ② ... – 7568876103 ③ गौतमलाल ④ हीरालाल जी	शान्ता लालकी हीना ...

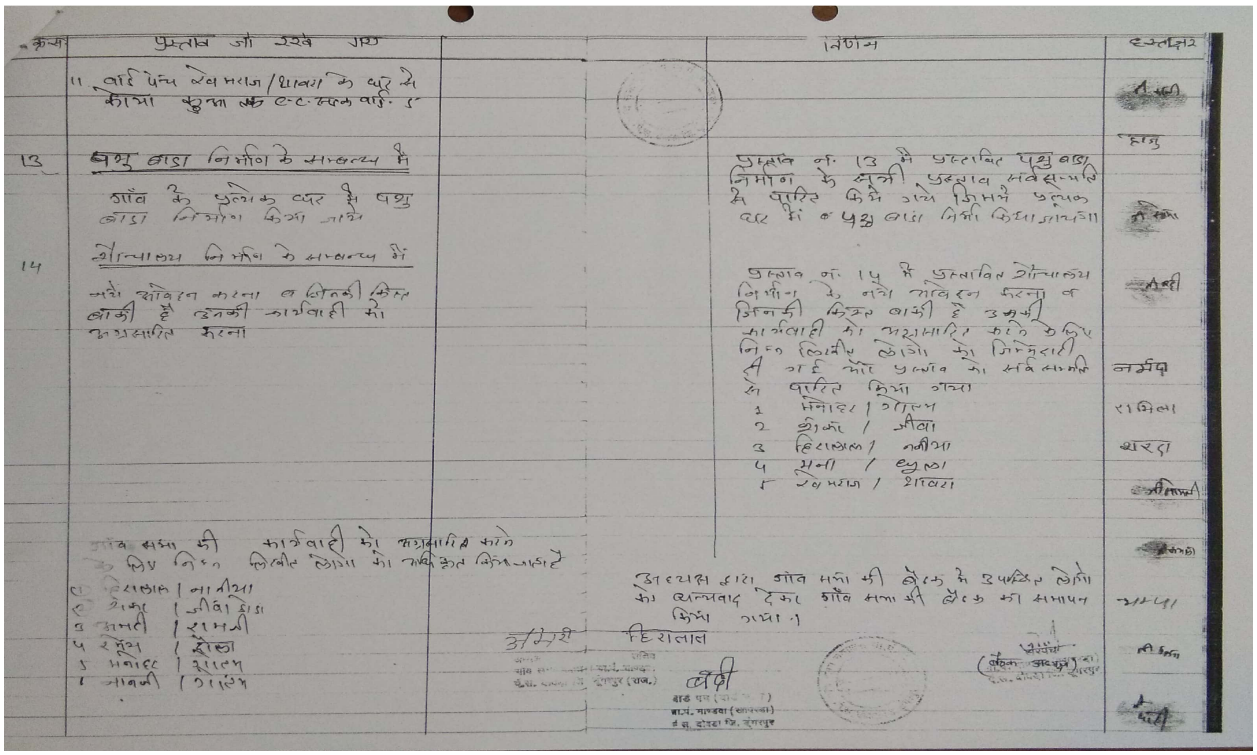

प्रस्ताव प्रथम पेज

क्र.सं.	प्रस्ताव जो रखे गये		निर्णय	हस्ताक्षर
11	...			
13	पशु बाड़ा निर्माण के सम्बन्ध में गाँव के प्रत्येक घर में पशु बाड़ा निर्माण किया जाये		प्रस्ताव नं. 13 में प्रस्तावित पशु बाड़ा निर्माण के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये जिसमें प्रत्येक घर में पशु बाड़ा निर्माण किया जायेगा	
14	शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में नये आवेदन करना व जिनकी किस्त बाकी है उनकी कार्यवाही को अग्रसारित करना		प्रस्ताव नं. 14 में प्रस्तावित शौचालय निर्माण के नये आवेदन करना व जिनकी किस्त बाकी है उनकी कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्न लिखित लोगों को जिम्मेदारी दी गई और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया 1 मनोहर / गौतम 2 ... / जीवा 3 हीरालाल / नवीया 4 मना / धुला 5 रेवमराज / शावरा	नर्मदा रामिला शारदा
	गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्न लिखित लोगों को नामांकित किया जाता है 1 हीरालाल / ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 मनोहर / गौतम 6 ...		अध्यक्ष द्वारा गाँव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गाँव सभा की बैठक का समापन किया गया।	

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

क्र.	नाम	फोन न.
1	हीरालाल कटारा	9950889273
2	मनोहरलाल परमार	9680959302
3	खेम राज	7568876103
4	राम जी डामोर	9950072357
5	नाथूलाल	7568355955
6	कुंजीलाल	9960770875
7	नानूराम	
8	सोमली परमार	